न्यायालय श्री मान, राजस्व मंण्डल ग्वालियर मध्य प्रदेश,

नि.ग - 988 - II - 16

श्री मती रीना सिंह पत्नी श्री रमेंश सिंह उम्र 59 वर्ष निवासी स्टार आटो मोबाइल्स मुखत्यारगंज सतना तह0 व रघु0 जिला सतना म0 प्र0 – निगराकार

बनाम

शासन म0 प्र0 ---- गैर निगराकार

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0 प्र0 कानून माल

निगरानी बिरूद्व, आदेश दिनांक 31.1.2006, पारित द्वारा न्यायालय श्री मान, तहसीलदार तहसील मझगवां प्रभारी बरौंधा तह0 मझगवां जिला सतना म0 प्र0 जरियें राजस्व प्रकरण क्र0 33/ए12/05-06,

---

एस.के. अवस्थी - एड0 को द्वारा आज दि. 21-3-16 को प्रस्तुत

रजिस्ट्रार ऑफ कोर्ट्स राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

शाखा प्रभारी (एस.सी.) कार्यालय महाधिवक्ता, ग्वालियर

21/3/16

श्री एस.के. अवस्थी अभिभाषक

21/3/16

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्न है :-

1:- यह कि निगराकार ने आराजी खसरा नं. 268/1क रकवां 4-00 ए0, वाका मौजा रजौला तह0 रघु0 जिला सतना म0 प्र0 कों दिनांक 16.6.04 को जरियें रजिस्टर्ड बिक्रय पत्र द्वारा भवानीदीन चमार सें क्रय किया थां, और विधिवत कब्जा दखल प्राप्त किया थां, और बिधि संगत रूप सें निगराकार

(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-988-दो/2016 जिला सतना

रीना विरूद्ध शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील महगंवा के प्रकरण क्रमांक 33/ए-12/2005-06 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 31-1-2006 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. यह प्रकरण दिनांक 20-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी महगंवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु रखा जावे । (बी.एम.शर्मा) सदस्य	